

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।  
पत्रांक 3537 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, जून 22 / 2021।

सेवा में, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद अमेठी के अन्तर्गत लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग -731(पुराना एन०एच० संख्या-56) के किमी० 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी पर प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य जिसमें बाधक 558 वृक्ष तथा 0.6689 हे० प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अमेठी का पत्रांक 2297 / 14-1 दिनांक 05.04.2021 एवं पत्रांक 2796 / 14-1 दिनांक 22-06-2021।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अमेठी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण कर इसकी 03 प्रतियों मय सी०डी० के संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पृ०सं० 3537 / उक्त दिनांक।

1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी वन प्रभाग को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2- प्रतिलिपि- श्री मिथिलेश कुमार सिंह, प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

Received  
03/06/21  
Deepak Singh  
9582878201

### भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।  
सुझावों के अनुसार वन संरक्षक की स्वीकृति के बिना  
वन प्रभाग द्वारा जारी सूचना में संशोधन होना आवश्यक है।  
कलेक्टरेट से सुनिश्चित किया गया है।

दिनांक- 23/06/2021

स्थान- झुपेड़ा

हस्ताक्षर

नाम

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
सा0 वा0, सरयू वृत्त, उ0प्र0  
अयोध्या